निर्णय न्यायालय श्री अनूप सिंह आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी।

मुकदमा नम्बर 105/21 | तारीख रजू. 23.06.21 | तारीख निर्णय 11.07.24

1. योगेश पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुन्दरपुर तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी

– प्रार्थी

बनाम

1. सुरेश चन्द पुत्र रामस्वरूप
2. भगवत पुत्र रामसहाय
3. सुमेर पुत्र रामसहाय
4. राजू पुत्र रामस्वरूप
5. गजानंद पुत्र आनंदीलाल
6. दिनेशचंद पुत्र रामस्वरूप
7. महेन्द्र पुत्र रामसहाय
8. रामेश्वर पुत्र आनंदीलाल
9. रामविलासी पत्नी स्व. रामस्वरूप
10. मिथलेश कुमार पुत्र रामस्वरूप
11. सुरेश पुत्र गोपी
12. जयप्रकाश पुत्र गोपी
13. कमरवाई पत्नी गोपी
14. मुकेश पुत्र गोपी
15. जगदीश प्रसाद पुत्र आनंदीलाल
16. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर

निवासीगण सुन्दरपुर तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :– श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के पिता स्व. रामसहाय की मृत्यु के बाद उसकी आराजीयात खाता संख्या 126 खसरा नंबर 32 रकबा 0.72 है0, खसरा नंबर 33 रकबा 0.82 है0, खसरा नंबर 34 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 35 रकबा 0.87 है0, खसरा नंबर 36 रकबा 1.13 है0, खसरा नंबर 37 रकबा 0.48 है0, खसरा नंबर 38 रकबा 0.41 है0, खसरा नंबर 121 रकबा 0.41 है0, खसरा नंबर 122 रकबा 0.46 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है तथा खाता संख्या 124 खसरा नंबर 29 रकबा 1.02 है0, खसरा नंबर 30 रकबा 0.48 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है तथा खाता संख्या 127 खसरा नंबर 168 रकबा 0.68 है0, खसरा नंबर 169 रकबा 0.29 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है तथा खाता संख्या 128 खसरा नंबर 287 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 289 रकबा 0.60 है0, खसरा नंबर 294 रकबा 0.49 है0, खसरा नंबर 304 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 348 रकबा 0.29 है0, खसरा नंबर 350 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 351 रकबा 0.003 है0, खसरा नंबर 352 रकबा 0.81 है0, खसरा नंबर 353 रकबा 0.84 है0, खसरा नंबर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

354 रकबा 0.41 है0, खसरा नंबर 355 रकबा 0.31 है0ख खसरा नंबर 359 रकबा 0. 14 है0, खसरा नंबर 360 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 361 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 362 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 363 रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 364 रकबा 0.23 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है जो कि वाके ग्राम सुन्दरपुर तहसील वजीरपुर में स्थित है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार व हिस्से अनुसार खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी कब्जा काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उपरोक्त भूमि में मेरे हिस्से से किसी दीगर व्यक्ति का कोई सरोकार वास्ता नहीं है। प्रार्थी योगेश के पिता स्व. रामसहाय की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारियों ने मेरे उक्त सही नाम के बजाय प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या व खसरा नंबरान में प्रार्थी के सही नाम योगेश के बजाय योगेन्द्र अंकित कर दिया जो कि प्रार्थी के घर का बोलता नाम है जबकि सभी दस्तावेजों में मेरा नाम योगेश ही अंकित है जो कि सही एवं सत्य है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम योगेश के बजाय योगेन्द्र अंकित कर दिया गया। प्रार्थी को पूर्व इन्द्राज की कोई जानकारी नहीं रही प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड की दिनांक 24.03.2021 को जमाबंदी नकल लेने से उक्त भूल की जानकारी हुई लेकिन कुछ महीनों से एक जानलेवा बीमारी कोरोना के कारण में न्यायालय में इस संशोधन वास्ते नहीं आ सका। उक्त भूलवश हुआ कार्य सद्भाविक है जिसमें संशोधन किया जाना परम आवश्यक है। वर्तमान में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कृषक हित में कई योजनाएं संचालित है जिसका लाभ प्रार्थी को हीं मिल पा रहा है। इसलिए दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है तथा अप्रार्थी लैण्डहोल्डर व तहसीलदार है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबंदी वर्तमान खाता संख्या 124, 126, 127, 128 ग्राम सुन्दरपुर तहसील वजीरपुर में दर्ज प्रार्थी का नाम योगेन्द्र के स्थान पर योगेश दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोप्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 16 तहसीलदार वजीरपुर के अलावा और कोई उपस्थित नहीं हुआ। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने पत्रांक 537 दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम पीलौदा पटवार मण्डल पीलौदा अ की जमाबंदी संबत् 2073–76 के खाता संख्या 124 किता 2 रकबा 1.50 है0 में प्रार्थी का नाम नाबालिग योगेन्द्र पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/2, खाता संख्या 126 किता 9 रकबा 4.77 है0 में प्रार्थी का नाम नाबालिग योगेन्द्र पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/12 व खाता संख्या 127 किता 2 रकबा 0.97 है0 में प्रार्थी का नाम नाबालिग योगेन्द्र पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/12 और खाता संख्या 128 किता 17 रकबा 5.84 है0 में प्रार्थी का नाम नाबालिग योगेन्द्र पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/12 जाति ब्राह्मण दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवास प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, अंकतालिका में योगेश पुत्र रामसहाय दर्ज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से योगेश के बजाय योगेन्द्र दर्ज हो गया है। जांच के दौरान पाया गया कि योगेश व योगेन्द्र एक ही व्यक्ति है। योगेन्द्र पुत्र रामसहाय नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से योगेश के

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

बहस पर मनन किया। पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल हाल जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 124, 126, 127, 128 ग्राम सुन्दरपुर तहसील वजीरपुर में दर्ज प्रार्थी का नाम योगेन्द्र पुत्र रामसहाय के स्थान पर योगेश पुत्र रामसहाय किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम सुन्दरपुर की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के खाता संख्या 124, 126, 127, 128 ग्राम सुन्दरपुर तहसील वजीरपुर में दर्ज प्रार्थी का नाम योगेन्द्र पुत्र रामसहाय के स्थान पर योगेश पुत्र रामसहाय दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनूप सिंह)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर